न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :: अमित कुमार, *RJS (DJ Cadre)*

दाण्डिक निगरानी संख्या : 52 सन् 2026

दीपक लोहार पुत्र उदय लाल लोहार उम्र 30 वर्ष, निवासी मारूति नगर, भीलवाड़ा

––निगरानीकर्ता

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, भीलवाड़ा

–गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मयंक प्रतापसिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम,भीलवाड़ा प्र.सं.536/23
थाना सुभाषनगर अ. धारा 13 RPGO
आदेश दिनांक 09.02.2026

उपस्थितः
1. श्री असलम शेख, अधिवक्ता–निगरानीकर्ता
2. श्री गोपाल सोनी, अपर लोक अभियोजक–गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश ::
दिनांकः 17.07.2026

1. इस आदेश द्वारा निगरानीकर्ता दीपक लोहार की ओर से यह निगरानी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम, भीलवाड़ा द्वारा प्र.सं. 536/23 थाना सुभाषनगर अ.धारा 13 RPGO में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 से व्यथित होकर पेश की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष थाना सुभाषनगर द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्र.सं. 536/2023 अ.धारा 13 RPGO में परिवाद पेश किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 13.09.2023 को प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर उसी दिन जमानत–मुचलके पर छोड़ा गया तथा उसी दिन संपूर्ण तफतीश पूर्ण कर दिनांक 16.09.2023 को अभियोजन समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई। इस दौरान प्रार्थी/अभियुक्त कभी फरार नही रहा न ही उसे समय बढाने के लिए नोटिस जारी किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज किया गया। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता के विरूद्ध जारी ट्रायल को खारिज किए जाने व निर्धारित समयावधि पश्चात् विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत इस्तगासे में दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा धारा 468 दंप्रसं. के तहत अपराध घटित होने से प्रथम सूचना/परिवाद पेश होने तक की अवधि की गणना करना मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई।

4. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि *क्या विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.02.2026 तथ्यात्मक रूप से विधिक एवं शुद्ध है?*

5. उक्त विचारणीय प्रश्न के सबंध में निगरानीधीन पत्रावली का अवलोकन किए जाने पर यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता को पुलिस थाना सुभाषनगर के पुलिसकर्मी सूरतसिंह हेडकानि. नं. 907 द्वारा दिनांक 13.09.2023 को सट्टे की खाईवाली करते हुए पकड़ा, उसी दिन उसके द्वारा पुलिस थाना सुभाषनर पर प्रसूरि. सं. 536 दिनांक 13.09.2023 दर्ज करा दी। उक्त प्रसूरि. के सबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर ने दिनांक 09.02.2026 को आरोप पत्र पेश किया।

6. उक्त आरोप पत्र के सबंध में अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह आक्षेप रहा है कि हस्तगत आरोप पत्र घटना के लगभग ढाई वर्ष पश्चात् पेश किया था जबकि धारा 13 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949 के अन्तर्गत केवल एक माह की सजा का प्रावधान है जिसके लिए धारा 468 दंप्रसं. में एक वर्ष की अवधि नियत की गई है। अतः आरोप पत्र परिसीमा बाधित है। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर विधिक रूप से विचार नही किया और आदेश पारित किया। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति एवं उस पर निगरानीकर्ता की ओर से दिए गए तर्को के सबंध में मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि अभियुक्त/निगरानीकर्ता को दिनांक 13.09.2023 को सट्टे की खाईवाली के सबंध में धारा 13 RPGO के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया। इस घटना की रिपोर्ट परिवादी पुलिसकर्मी सूरतसिंह हेडकानि. नं. 907 द्वारा उसी दिन दिनांक 13.09.2023 को दर्ज करवा दी गई। 13 RPGO के अपराध में एक माह तक की सजा का प्रावधान है जिसके लिए धारा

468(2) दंप्रसं. के तहत प्रसंज्ञान हेतु परिसीमा एक वर्ष होना निर्धारित किया है। स्वीकृत तौर पर निगरानीधीन प्रकरण में आरोप पत्र लगभग 2 वर्ष 5 माह पश्चात् प्रस्तुत किया है। इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या निगरानीधीन प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र परिसीमा बाधित है? उक्त प्रश्न के सबंध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत ***Roma Ahuja Vs. State & Ors. 2026 Supreme (SC) 364*** उल्लेखनीय है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्य न्यायालय 7.3 में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

"The criminal proceedings can be said to have been initiated in both categories of complaint when the complaint is filed before the Magistrate or FIR is lodged before the police, as the case may be. It remains a complaint made either to the Magistrate or to the police to become the starting point of initiation of criminal proceedings."

7. इसके बाद धारा 468 दंप्रसं. के अन्तर्गत किसी भी अपराध के अभियोजन के लिए परिसीमा के सबंध में विचार हेतजु केवल इस तथ्य को देखना होता है कि क्या परिवादी अपराध घटित होने के पश्चात् परिसीमा में संस्थित कर दिया है अथवा प्रसूरि. वैध अवधि में दर्ज करवा दी है। इस न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किए जाने पर यह दर्शित होता है कि परिवादी सूरतसिंह हेडकानि. नं. 907 द्वारा अभियुक्त/निगरानीकर्ता को सट्टे की खाईवाली करते हुए पाए जाने पर उसके रिपोर्ट उसी दिन सबंधित थाने में दर्ज करा दी गई थी। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रकरण धारा 468(2) दंप्रसं. के अन्तर्गत परिसीमा बाधित दायर नही किया गया है। हस्तगत निगरानी याचिका के अन्तर्गत निगरानीकर्ता किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.02.2026 तथ्यात्मक रूप से विधिक एवं शुद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता दीपक लोहार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

8. परिणामतः निगरानीकर्ता दीपक लोहार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.02.2026 पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति सहित

विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(अमित कुमार)

9. आदेश आज दिनांक 17.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमित कुमार)